

राजस्थान सरकार  
उच्च शिक्षा विभाग

कमांक एफ23 ( )लेखा/निकाशि/वसूप्रोरायो/2012-13/2569-76 दिनांक 23-7-2012

मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना 2012

1- योजना :-

माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार के द्वारा राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर की उच्च माध्यमिक परीक्षा की वरियता सूची में प्रथम एक लाख ऐसे छात्र/छात्राओं को जिनके परिवार की वार्षिक आय एक लाख रुपये तक है तथा जिन्हें कोई अन्य छात्रवृत्ति अथवा प्रोत्साहन राशि नहीं मिल रही है के लिए 500 रुपये प्रतिमाह छात्रवृत्ति भुगतान किये जाने की वर्ष 2012-13 के बजट में घोषणा की गई है। यह योजना अल्प आय वर्ग के बच्चों में शिक्षा का स्तर बढ़ाने एवं सहायता प्रदान के उद्देश्य से प्रारम्भ की गई है।

2- योजना का नाम :-

इस योजना का नाम मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना 2012 होगा।

3- उद्देश्य :-

इस योजना का उद्देश्य अल्प आय वर्ग के प्रतिभावान छात्र/छात्राओं को उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करना है।

4- योजना अन्तर्गत लाभ :-

(अ) राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की उच्च माध्यमिक परीक्षा में वरियता सूची में अल्प आय परिवारों के पात्र छात्र/छात्राओं को 500/- रुपये प्रतिमाह जो एक वर्ष में 10 माह से अधिक नहीं होगा अर्थात् अधिकतम 5000/- रुपये वार्षिक भुगतान किया जावेगा।

(ब) इस योजना के अन्तर्गत उच्च शिक्षण संस्थान में अध्ययनरत नियमित छात्र/छात्राओं को अधिकतम 5 वर्षों तक ही लाभ प्रदत्त किया जावेगा एवं यदि विद्यार्थी द्वारा 5 वर्ष पूर्व अध्ययन छोड़ दिया जाता है तो यह लाभ पूर्व वर्षों तक ही मान्य होगा।

5- पात्रता :-

इस योजना का लाभ उन छात्र/छात्राओं को देय होगा जो निम्न समस्त शर्तों की पूर्ति करते हो:-

(1) जिसने राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की उस वर्ष की उच्च माध्यमिक परीक्षा में संकायवार वरियता (मेरिट) सूची अनुसार निम्न स्थान प्राप्त किया हुआ हो -

कला - प्रथम स्थान से 75,000 तक स्थान तक  
विज्ञान - प्रथम स्थान से 55,000 तक स्थान तक  
वाणिज्य - प्रथम स्थान से 20,000 तक स्थान तक

(2) उसके माता-पिता या अभिभावक की वार्षिक आय एक लाख अथवा कम होगी।



(3) वह राजस्थान के किसी राजकीय अथवा मान्यता प्राप्त गैर राज. उच्च/तकनीकी संस्थान में नियमित रूप से अध्ययनरत है।

(4) वह राजस्थान का मूल निवासी हो।

(5) उसे भारत सरकार/ राज्य सरकार की किसी अन्य छात्रवृत्ति अथवा समकक्ष योजना के अन्तर्गत लाभ नहीं मिल रहा हो।

(6) उसका एस.बी.बी.जे. बैंक में जमा खाता हो।

#### 6- आवेदन :-

राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के परिणाम जारी होने के तत्काल बाद ही निदेशक, कॉलेज शिक्षा के द्वारा बोर्ड से तीनों संकाय – यथा कला, विज्ञान एवं वाणिज्य – की क्रमशः प्रथम 75,000, 55,000 एवं 20,000 छात्र/छात्राओं की मेरिट सूची प्राप्त की जावेगी एवं इन तीनों सूचियों में अंकित आखरी छात्र के अंक संकायवार बोर्ड से प्रमाणित करावें जावेंगे जिससे कि योजनान्तर्गत पात्र छात्र/छात्राओं का संकायवार न्यूनतम अंक घोषित किया जा सके।

शैक्षणिक सत्र जुलाई में आरम्भ होने पर निदेशक, कॉलेज शिक्षा के द्वारा विज्ञापन जारी किया जाकर इस योजनान्तर्गत आवेदन पत्र निर्धारित अवधि में मांगें जावेंगे। इसका विवरण व आवेदन फॉर्म का प्रारूप निदेशक, कॉलेज शिक्षा की वेब साईट पर भी होगा। विज्ञप्ति में उस वर्ष, संकायवार, न्यूनतम अंक भी अंकित होंगे।

नियमित अध्ययनरत छात्र/छात्रा द्वारा, जिनके उन विज्ञापित न्यूनतम या उससे अधिक अंक हो, एवं वह इस योजनान्तर्गत पात्रता के लिए उल्लेखित समस्त शर्तों की पूर्ति करते हो, निर्धारित आवेदन पत्र (प्रपत्र "अ" ) (मय आवश्यक अभिलेख) की पूर्ति कर अपने महाविद्यालय/तकनीकी शिक्षण संस्थान (जिसमें वह उच्च शिक्षा हेतु अध्ययनरत है) के प्राचार्य को अगस्त 1-20 तक प्रस्तुत करेंगे।

संस्था प्रधान आवेदन-पत्र में संलग्न अंकतालिका का अपनी संस्था में उपलब्ध मूल अंकतालिका से मिलान कर, एवं अन्य वांछित तथ्यों को सत्यापित कर समस्त पात्र आवेदन पत्रों (जो घोषित न्यूनतम अंक तक हो) अपने जिले के नोडल अधिकारी (प्रपत्र "स") को दिनांक 31 अगस्त तक प्रेषित करेंगे।

#### 7- स्वीकृति :-

संबंधित नोडल अधिकारी अपने जिले से सम्बन्धित प्राप्त सभी आवेदन पत्रों का पुनः परीक्षण करेंगे एवं निदेशक, कॉलेज शिक्षा द्वारा संकायवार प्रेषित कटऑफ सूची से मिलान कर सुनिश्चित करेंगे कि आवेदक छात्र/छात्रा का नाम उसमें सम्मिलित है। उस जिले में योजनान्तर्गत स्वीकृति हेतु पात्र कुल छात्र संख्या से निदेशालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान जयपुर को सूचित करेंगे एवं निदेशालय से प्राप्त अनुमति पश्चात् स्वीकृति जारी कर सम्बन्धित छात्र/छात्रा एवं बैंक को स्वीकृति की प्रति प्रेषित करेंगे।


स्वीकृत संख्या अनुसार निदेशालय द्वारा नोडल अधिकारी को बजट स्वीकृत किया जावेगा एवं नोडल अधिकारी द्वारा तदानुसार बैंक को चयनित छात्रों/छात्राओं के बैंक खाते में माहवार छात्रवृत्ति राशि क्रेडिट करने के निर्देश दिये जावेंगे।



8- छात्रवृत्ति की निरन्तरता की प्रक्रिया :-

छात्रवृत्ति राशि का भुगतान पाँच वर्ष की अवधि अथवा उच्च/ तकनीकी अध्ययन जारी रखने तक, जो भी पहले हो, देय होगी। परन्तु चयनित छात्र को प्रति वर्ष इसका नवीनीकरण कराना आवश्यक है, जिससे कि यह प्रमाणित किया जा सके कि नियमित अध्ययनरत उच्च शिक्षा जारी है।

इस हेतु छात्र/छात्रा को प्रपत्र "ब" में आवेदन पत्र भर कर अपने संस्था प्रधान को अगस्त 20 तक प्रस्तुत करना होगा। आवेदन पत्र के साथ पूर्व वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण करने की अंक तालिका की प्रति संलग्न हो। संस्था प्रधान सत्यापित कर आवेदन पत्र को नोडल अधिकारी को दिनांक 31 अगस्त तक प्रेषित कर देगे।


  
(राजीव स्वरूप)

प्रमुख शासन सचिव  
उच्च शिक्षा

क्र.सं. 23 ( ) लेख / दि. 23/7/2012/2012-13/2589-76/23-7-2012

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. प्रमुख शासन सचिव, मुख्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर।
2. प्रमुख शासन सचिव, आयोजना विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. निदेशक, निदेशालय, कॉलेज शिक्षा, जयपुर।
5. निजी सचिव, माननीय राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा।
6. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग।
7. समस्त नोडल अधिकारी।
8. प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय, .....



विशिष्ट शासन सचिव  
उच्च शिक्षा

राजस्थान सरकार  
निदेशालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर  
मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना 2012  
हेतु आवेदन पत्र

1. छात्र/छात्रा का नाम :
2. पिता का नाम :
3. जन्म तिथि :
4. जाति: सामान्य/एस.सी./एस.टी./ओ.बी.सी./एस.बी.सी.
5. पत्र व्यवहार का पता :
6. स्थायी पता मय फोन नं.:
7. एस.बी.बी.जे. के बैंक खाता संख्या मय बैंक का पूर्ण पता :
8. मूल निवास प्रमाण पत्र संलग्न : हां/ नहीं  
(तहसीलदार द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र संलग्न करें)
9. अध्ययनरत् महाविद्यालय का नाम, कक्षा व संकाय :  
(फीस जमा रसीद की सत्यापित प्रति संलग्न करें)
10. राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 12वीं कक्षा का परिणाम :

प्राचार्य द्वारा  
सत्यापित फोटो

परीक्षा वर्ष	रोल नं.	संकाय विज्ञान/ कला/ वाणिज्य	प्राप्तांक	प्रतिशत	विद्यालय का नाम	वरियता क्रमांक

(अंकतालिका की सत्यापित प्रति संलग्न करें)

11. पिता का व्यवसाय :
12. पिता –माता / अभिभावक की वार्षिक आय :  
(तहसीलदार द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र संलग्न करें जो एक वर्ष से अधिक पुराना ना हो)
13. राज्य सरकार/भारत सरकार से अन्य कोई छात्रवृत्ति/प्रोत्साहन राशि नहीं मिल रही हो के सम्बन्ध में 10 रुपये नॉनज्यूडीशियल स्टाम्प पेपर पर नोटेरी से प्रमाणित कराकर शपथ पत्र संलग्न :- हां/ नहीं

प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त बिन्दु संख्या 1 से 13 तक में अंकित की गई समस्त सूचनाएं पूर्णतया सही है । यदि सूचनाएं असत्य पाई जाये तो मैं प्राप्त राशि वापिस राजकोष में जमा कराने का वचन देता/देती हूँ ।

हस्ताक्षर छात्र/छात्रा

- संलग्न:-
1. राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 12वीं की अंकतालिका की सत्यापित प्रति।
  2. तहसीलदार द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र
  3. मूल निवास प्रमाण पत्र
  4. अन्य कोई छात्रवृत्ति नहीं प्राप्त करने बाबत 10 रुपये नॉनज्यूडीशियल स्टाम्प पेपर पर नोटेरी से प्रमाणित कराकर शपथ पत्र
  5. एस.बी.बी.जे. के बचत खाता की पास बुक की फोटो प्रति जिसमें नाम व खाता संख्या स्पष्ट अंकित हो।
  6. वर्तमान उच्च शिक्षण संस्था में अध्ययनरत हेतु फीस जमा रसीद की सत्यापित प्रति

### संस्था प्रधान का प्रमाण पत्र


1. प्रमाणित किया जाता है कि छात्र/छात्रा ..... पुत्र/पुत्री श्री ..... ने वर्ष ..... के लिए इस महाविद्यालय की कक्षा ..... संकाय ..... दिनांक: ..... को प्रवेश लेकर नियमित अध्ययनरत है एवं उसका इनरोलमेंट नम्बर \_\_\_\_\_ है।
2. छात्र/छात्रा द्वारा राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की वर्ष 20\_\_ की 12वीं कक्षा की मार्कशीट जो संलग्न की है, उसका मूल मार्कशीट से मिलान कर लिया गया है, एवं सत्यापित की जाती है।
3. आवेदक द्वारा राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 12वीं की परीक्षा के विज्ञान/कला/वाणिज्य संकाय में कुल \_\_\_\_\_ अंक प्राप्त किये हैं, जो निदेशालय कॉलेज शिक्षा द्वारा घोषित उस संकाय के न्यूनतम कटऑफ अंक से अधिक/ बराबर है।
4. इस संस्था को जानकारी नहीं है कि आवेदक को राज्य सरकार/भारत सरकार द्वारा अन्य किसी योजना में छात्रवृत्ति/प्रोत्साहन राशि दी जा रही है।
5. आवेदक द्वारा वांछित उपरोक्त समस्त छः संलग्नक प्रमाण पत्र आदि आवेदन पत्र के साथ संलग्न कर दिये गये हैं।

हस्ताक्षर मय सील संस्था प्रधान

8

राजस्थान सरकार  
निदेशालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर  
मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना 2012  
निरन्तर अध्ययनरत छात्र/ छात्राओं हेतु आवेदन पत्र

1. छात्र/छात्रा का नाम :
2. पिता का नाम :
3. जन्म तिथि :
4. जाति: सामान्य/एस.सी./एस.टी./ओ.बी.सी./एस.बी.सी.
5. पत्र व्यवहार का पता :
6. स्थायी पता मय फोन नं.:
7. एस.बी.बी.जे. के बैंक खाता संख्या मय बैंक का पूर्ण पता :
8. अध्ययनरत महाविद्यालय का नाम, कक्षा व संकाय :  
(फीस जमा रसीद की सत्यापित प्रति संलग्न करें)
9. उच्च शिक्षण संस्थान की गत परीक्षा परिणाम :



परीक्षा वर्ष	कक्षा व रोल नं.	विषय	प्राप्तांक	प्रतिशत

(अंकतालिका की सत्यापित प्रति संलग्न करें)

10. राज्य सरकार/भारत सरकार से अन्य कोई छात्रवृत्ति/प्रोत्साहन राशि नहीं मिल रही हो के सम्बन्ध में 10 रुपये नॉनज्यूडीशियल स्टाम्प पेपर पर नोटेरी से प्रमाणित कराकर शपथ पत्र संलग्न :- हां/ नहीं

प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त बिन्दु संख्या 1 से 12 तक में अंकित की गई समस्त सूचनाएं पूर्णतया सही हैं। यदि सूचनाएं असत्य पाई जाये तो मैं प्राप्त राशि वापिस राजकोष में जमा कराने का वचन देता/देती हूँ।

हस्ताक्षर छात्र/छात्रा

- संलग्न:-
1. अध्ययनरत शिक्षण संस्थान की गत वर्ष की अंकतालिका की सत्यापित प्रति।
  2. अन्य कोई छात्रवृत्ति नहीं प्राप्त करने बाबत 10 रुपये नॉनज्यूडीशियल स्टाम्प पेपर पर नोटेरी से प्रमाणित कराकर शपथ पत्र
  3. वर्तमान उच्च शिक्षण संस्था में अध्ययनरत हेतु इस सेमेस्टर की फीस जमा रसीद की सत्यापित प्रति

### संस्था प्रधान का प्रमाण पत्र

1. प्रमाणित किया जाता है कि छात्र/छात्रा ..... पुत्र/पुत्री श्री ..... ने गत वर्ष इस महाविद्यालय की कक्षा ..... संकाय ..... में नियमित छात्र के रूप में अध्ययन किया है एवं परीक्षा उत्तीर्ण की है।
2. छात्र/छात्रा द्वारा गत परीक्षा की मार्कशीट जो संलग्न की है, वह सत्यापित की जाती है।
3. इस संस्था को जानकारी नहीं है कि आवेदक को राज्य सरकार/भारत सरकार द्वारा अन्य किसी योजना में छात्रवृत्ति/प्रोत्साहन राशि दी जा रही है।
4. आवेदक द्वारा वांछित उपरोक्त समस्त तीन संलग्नक प्रमाण पत्र आदि आवेदन पत्र के साथ संलग्न कर दिये गये हैं।

हस्ताक्षर मय सील संस्था प्रधान



नोडल अधिकारियों की सूची, जहाँ पर आवेदन-पत्र जमा कराये जाने हैं

क्र०सं०	नोडल अधिकारी	जिला	
1	प्राचार्य राजकीय महाविद्यालय, अजमेर	अजमेर जिले के समस्त राजकीय एवं महाविद्यालय एवं तकनीकी शिक्षण संस्थान	गैर राजकीय
2	प्राचार्य राजकीय महाविद्यालय अलवर	अलवर जिले के समस्त राजकीय एवं महाविद्यालय एवं तकनीकी शिक्षण संस्थान	गैर राजकीय
3	प्राचार्य राजकीय महाविद्यालय, बांसवाड़ा	बांसवाड़ा जिले के समस्त राजकीय एवं महाविद्यालय एवं तकनीकी शिक्षण संस्थान	गैर राजकीय
4	प्राचार्य राजकीय महाविद्यालय, बारां	बारां जिले के समस्त राजकीय एवं महाविद्यालय एवं तकनीकी शिक्षण संस्थान	गैर राजकीय
5	प्राचार्य राजकीय महाविद्यालय, बाडमेर	बाडमेर जिले के समस्त राजकीय एवं महाविद्यालय एवं तकनीकी शिक्षण संस्थान	गैर राजकीय
6	प्राचार्य राजकीय एमएसजे कालेज, भरतपुर	भरतपुर जिले के समस्त राजकीय एवं महाविद्यालय एवं तकनीकी शिक्षण संस्थान	गैर राजकीय
7	प्राचार्य राजकीय महाविद्यालय, भीलवाड़ा	भीलवाड़ा जिले के समस्त राजकीय एवं महाविद्यालय एवं तकनीकी शिक्षण संस्थान	गैर राजकीय
8	प्राचार्य राजकीय डूंगर महाविद्यालय बीकानेर	बीकानेर जिले के समस्त राजकीय एवं महाविद्यालय एवं तकनीकी शिक्षण संस्थान	गैर राजकीय
9	प्राचार्य राजकीय महाविद्यालय, बून्दी	बून्दी जिले के समस्त राजकीय एवं महाविद्यालय एवं तकनीकी शिक्षण संस्थान	गैर राजकीय
10	प्राचार्य राजकीय महाविद्यालय, चित्तौड़गढ़	चित्तौड़गढ़ जिले के समस्त राजकीय एवं महाविद्यालय एवं तकनीकी शिक्षण संस्थान	गैर राजकीय
11	प्राचार्य राजकीय महाविद्यालय, चुरू	चुरू जिले के समस्त राजकीय एवं गैर राजकीय महाविद्यालय एवं तकनीकी शिक्षण संस्थान	
12	प्राचार्य राजकीय महाविद्यालय, दौसा	दौसा जिले के समस्त राजकीय एवं महाविद्यालय एवं तकनीकी शिक्षण संस्थान	गैर राजकीय
13	प्राचार्य राजकीय महाविद्यालय, धौलपुर	धौलपुर जिले के समस्त राजकीय एवं महाविद्यालय एवं तकनीकी शिक्षण संस्थान	गैर राजकीय
14	प्राचार्य राजकीय महाविद्यालय, डूंगरपुर	डूंगरपुर जिले के समस्त राजकीय एवं महाविद्यालय एवं तकनीकी शिक्षण संस्थान	गैर राजकीय
15	प्राचार्य राजकीय महाविद्यालय, राजसमन्द	राजसमन्द जिले के समस्त राजकीय एवं महाविद्यालय एवं तकनीकी शिक्षण संस्थान	गैर राजकीय
16	प्राचार्य राजकीय महाविद्यालय, हनुमानगढ़	हनुमानगढ़ जिले के समस्त राजकीय एवं महाविद्यालय एवं तकनीकी शिक्षण संस्थान	गैर राजकीय
17	सहायक निदेशक क्षेत्रीय	जयपुर जिले के समस्त राजकीय एवं	गैर राजकीय

